रजिस्ट्री सं. डी—(डी एन)—128/90

REGISTERED NO. D—(DN)—128/90

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 13, 1990 (आश्विन 21, 1912)

No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 13, 1990 (ASVINA 21, 1912)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों, संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं .	675
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	1175
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	1641
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) .	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश . .	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	993
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस .	1139
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल	2691
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस . . .	153
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक . .	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	675
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1175
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1641
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories),	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	993
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	1139
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2691
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	153
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 सितम्बर, 1990

सं० 81-प्रेज 90—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद
श्री सुशील कुमार शर्मा
सहायक कमांडेंट
24 वीं बटालियन
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

1 दिसम्बर, 1988 को सायं लगभग 3.30 बजे अमृतसर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कन्ट्रोल रूम में यह सूचना प्राप्त हुई कि गांव गगुबुहा, थाना झाबल के समीप एक फार्म हाउस में तीन खतरनाक आतंकवादी उपस्थित हैं। यह भी मालूम हुआ कि आतंकवादियों का उक्त दल आधुनिक हथियारों से सुसज्जित है और आकस्मिक आक्रमण की योजना बना रहा है।

फार्म हाउस को घेरने के लिए तुरन्त केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 24वीं बटालियन के सहायक कमान्डेन्ट श्री सुशील कुमार शर्मा के नेतृत्व में एक विशेष ग्रुप संगठित किया गया। एक और सहायक कमान्डेन्ट के नेतृत्व में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 25वीं बटालियन की एक टुकड़ी को भी संदिग्ध फार्म हाउस के नजदीक जाने और निर्देशों का इन्तजार करने के आदेश दिए गए। श्री शर्मा के नेतृत्व वाला ग्रुप सायं 4.30 बजे उक्त स्थान पर पहुंचा वे पांच पांच व्यक्तियों के दो दलों में बंट गए, एक दल फार्म हाउस के बाएं ओर से आगे बढ़ा और दूसरा दल श्री शर्मा के नेतृत्व में दाहिने ओर से आगे बढ़ा।

दोनों ही दल अभी संदिग्ध स्थान से दूरी पर थे कि श्री शर्मा ने फार्म हाउस के पिछवाड़े से तीन व्यक्तियों को भागते हुए देखा लिया। उन्होंने तुरन्त उनको रुकने के लिए ललकारा लेकिन उन्होंने पुलिस दल पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। श्री शर्मा ने तुरन्त जवाब में प्रभावी गोली चलाई और अपने व्यक्तियों को भागने वाले आतंकवादियों का पीछा करने का आदेश दिया। आतंकवादियों ने गोली चलाकर भागने की युक्ति अपनाई और भिन्न भिन्न दिशाओं को भागने का प्रयास किया श्री शर्मा ने अपने जवानों को उत्साहित करते हुए आतंकवादियों के भागने के प्रयास को निष्फल कर दिया। लगभग आधा किलो मीटर तक गोली बारी और पीछा जारी रहा और उसके बाद आतंकवादियों ने ईंट के एक भट्टे के निचले क्षेत्र में मोर्चा संभाला। श्री शर्मा ने अपने जवानों को मोर्चा संभालने और किसी भी जीवन की हानि के बिना युक्तिपूर्वक रेंगते हुए आगे बढ़ने और उन्हें दोनों ओर से घेर लेने का आदेश दिया इससे दोनों ओर से भारी गोली बारी शुरू हो गई।

दो अन्य आतंकवादियों द्वारा भी बच निकलने का प्रयास किया जोकि श्री शर्मा और कान्स्टेबल माहिन्दर पाल द्वारा निष्फल कर दिया गया। गोला बारी में भारी गोला बारी के दौरान उन दोनों ने दाहिनी ओर से बढ़ते हुए मार्ग में मनाया और दोनों आतंकवादियों को वापस लौटकर आने के लिए मजबूर कर दिया। इस प्रकार दोनों दल आतंकवादियों के मोर्चे के काफी नजदीक पहुंच गए, और उनका बच निकलना रोक दिया।

इसी बीच केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 25वीं बटालियन की टुकड़ी गोली-बारी की आवाज सुनने पर सतर्क हो गई और घटना स्थल पर पहुंच गई। इस टुकड़ी के वहां पहुंचने पर श्री शर्मा ने सहायक कमान्डेंट को मुठभेड़, आतंकवादियों के मोर्चे और अपने दल की स्थिति के बारे में बताया। दोनों अधिकारियों ने बच निकलने के सभी संभव रास्ते बन्द कर कर दिए और एल० एम० जी०, 2" मोटर और जी० एफ० राइफल्स मोर्चे पर लगा दी। श्री शर्मा ने जी० एफ० राइफल्स और 2" मोटर ग्रुप का निर्देशन किया। इसी बीच केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 78 वीं बटालियन के कार्मिक भी घटना स्थल पहुंचे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, तरन तारन भी कुमुक के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद, अन्त में आतंकवादियों के मोर्चे पर संयुक्त रूप से हमला करने का निर्णय लिया गया। श्री शर्मा ने अपने जवानों के साथ यह अन्तिम हमला किया। क्षेत्र की छान बीन के बाद आतंकवादियों के तीन शव प्राप्त हुए, जिकी बाद में गुरजीत सिंह उर्फ सीता, जोगिन्दर सिंह उर्फ जक्का और दलविन्दर सिंह उर्फ जिन्दा के रूप में पहचान की गई। ये पुलिस रक्षा कार्मिकों की कई हत्याओं तथा उन पर आक्रमण करने में शामिल थे।

इस मुठभेड़ में श्री सुशील कुमार, सहायक कमान्डेन्ट ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 1 दिसम्बर, 1988 से दिया जाएगा।

सं० 82-प्रेज 90—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद
श्री गुलफाम (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल सं० 830765281,
76 वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 1 दिसम्बर, 1988 को सूचना प्राप्त होने पर, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 10वीं और 56वीं बटालियन और पंजाब पुलिस के कार्मिकों की एक संयुक्त पार्टी द्वारा जिला मजीठा के, थाना ब्यास, ग्राम

टपियाला मे उग्रवादियो के छुपने के स्थान पर संयुक्त रूप से छापा मारा तथा खोजबीन अभियान चलाया गया । हैड कान्स्टेबल फजल अहमद के नेतृत्व वाली एक टुकड़ी जिसके साथ कान्स्टेबल गुलफाम भी थे ने खूंखार आतंकवादी मेजर सिंह के घर को घेर लिया । कान्स्टेबल गुलफाम और उसकी टुकड़ी के दो व्यक्तियो को मुख्य द्वार पर तैनात किया गया, जो कि संभवत घर मे बच निकलने का एक मात्र रास्ता था । जैसे ही पुलिस दल ने आत्मसमर्पण के लिए कहा, साथ वाले कमरे से तीन आदमी निकल कर बाहर आए और उन्होंने पुलिस दल पर अंधाधुंध गोलियां चलानी आरम्भ कर दी । पुलिस दल ने भी जवाब मे गोलियां चलाई । गोली-बारी के समय एक आतंकवादी गोलियां चलाता हुआ मुख्य द्वार की ओर भागा । अपनी निजी सुरक्षा की पूर्ण उपेक्षा करते हुए श्री गुलफाम ने भागते हुए आतंकवादी को व्यस्त रखने के लिए अपनी स्थिति बदली और उस पर गोली चलाई ऐसा करते समय भागते हुए आतंकवादियो की एक गोली उनकी छाती मे आ लगी । गोली से गंभीर रूप से घायल हो जाने के बावजूद वे रेंगते हुए और अधिक सुरक्षित स्थान पर पहुंचे और वहां से उन्होंने अपनी एस० एल० आर० से प्रभावकारी ढंग से गोलियां चलाई । श्री गुलफाम द्वारा सही समय पर की गई इस कार्यवाई में खूंखार आतंकवादियो के खिलाफ किए गए आपरेशन मे अत्याधिक सफलता प्राप्त हुई । इस मुठभेड़ मे दो आतंकवादी मारे गए जिनकी बाद मे मेजर सिंह और परगत सिंह के रूप मे पहचान की गई जो कि कई आतंकवादी गतिविधियो और मासूम लोगों को मारने के लिए जिम्मेवार थे । कान्स्टेबल गुलफाम को तत्काल अस्पताल मे ले जाया गया लेकिन जख्मो के कारण उसने रास्ते मे दम तोड़ दिया ।

इस मुठभेड मे श्री गुलफाम, कान्स्टेबल, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम/विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 1 दिसम्बर, 1988 से दिया जाएगा ।

स० 83-प्रेज/90 राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद
श्री हरिहर यादव
नायक नं० 700360148,
41 वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

सेवाओ का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

26 अक्तूबर, 1988 को यह सूचना प्राप्त हुई कि आधुनिकतम हथियारों से लैस लगभग 8–10 सशस्त्र आतंकवादी पुनिया–बरनाला क्षेत्र मे पास के गांव में हत्या करने के इरादे से घूम रहे है ।

27 अक्तूबर, 1988 की रात को पट्टी–बल्टोहा राज-मार्ग से पुनिया गांव को जाने वाले कच्चे रास्ते पर इन आतंकवादियो को पकड़ने के लिए घात लगाई गई ।

रात के करीब 11 45 बजे लगभग 8 व्यक्ति चादरे ओढ़े हुए पेड़ो और घनी तथा लम्बी फसल के बीच से बाहर निकले । पुलिस दल ने उन्हे रुकने के लिए ललकारा लेकिन उन्होंने घात दल पर तुरन्त गोली चलानी शुरू कर दी । इस पर पुलिस दल ने भी गोली चलायी । दो आतंकवादी नीचे गिरे और लुढ़कते हुए खेत की ओर निकल गए ।

नायक हरिहर यादव और कान्स्टेबल पी० अजय कुमार को उन आतंकवादियों को रोकने के आदेश दिये गये, जो भागने का प्रयास कर रहे थे । नीचे के खेतो के किनारे-किनारे तुरन्त मोर्चा सम्भालते हुए, उन्होंने उन आतंकवादियो के बच निकलने के रास्ते को घेर डाला, आतंकवादियो ने सर्वश्री यादव और अजय कुमार को देख लिया और उन पर गोली चलाई । गोली-बारी में सर्वश्री यादव और अजय कुमार की राइफलो का कुंदा और मैगजिनें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई । नायक हरिहर ने मैगजीन को बदलने का प्रयास किया लेकिन वे राइफल से इस को अलग नहीं कर सके । एक आतंकवादी ने गोली-बारी मे व्यवधान देखते हुए बच निकलने का प्रयास किया । गम्भीर खतरे की परवाह किये बिना नायक यादव अपने मोर्चे से उठे और भागते हुए आतंकवादी पर झपट पड़े और उसकी राइफल छीनने का प्रयास किया । दूसरे आतंकवादी ने जब यह देखा तो गोली चला दी जिससे नायक यादव के दाहिने हाथ, तथा उनके पैर, पेट और पीठ जख्मी हो गये । श्री यादव को 6 गोलियां लगी और वे गिर पड़े । यद्यपि आतंकवादी भाग निकला श्री यादव ए० के०-47 राईफल की भरी हुई मैगजीन को पकड़े रहा और उसे ले जाने नहीं दिया ।

इस मुठभेड़ मे श्री हरिहर यादव, नायक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनाक 27 अक्तूबर, 1988 से दिया जाएगा ।

स० 84-प्रेज/90-राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद
श्री हीरा लाल यादव, (मरणोपरान्त)
हैड कान्स्टेबल,
सं० 680160048,
76वीं बटालियन
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

सेवाओ का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया

12 सितम्बर, 1988 को रात के लगभग आठ बजे, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 76 वीं बटालियन के पुलिस उप-अधीक्षक श्री राम पाल सिंह के नेतृत्व मे (हैड कान्स्टेबल हीरा लाल यादव और कान्स्टेबल गोपाल सिंह सहित) दो दल जिसमे पंजाब पुलिस कार्मिक भी शामिल थे, आतंकवादियो के छिपने के संभावित स्थान जोरा गांव मे गश्त लगाने के लिए गांव कैरो स्थित कम्पनी पोस्ट से रवाना हुए । 13 सितम्बर, 1988 को रात के लगभग पौने एक बजे दल ने घात लगाई । रास्ते मे श्री राम पाल सिंह ने एक वाहन की रोशनी देखी । दल उस वाहन को रोकने के लिए नाथू चाक गांव की ओर आगे बढ़ा, जो घराता पुल से नाथू चाक की ओर आ रहा था । दल ने नाकाबन्दी की और वहां उपलब्ध आड़ के पीछे मोर्चा संभाला । श्री हीरा लाल यादव को एक अति संवेदनशील स्थान पर तैनात किया गया । श्री राम पाल सिंह रेंगते हुए एक उपयुक्त स्थान की ओर बढ़े और अपने नजदीक आ रहे वाहन की आवाज सुनकर, जो एजक्स ट्रैक्टर था उसे ललकारने के लिए स्वयं मोर्चा संभाला । जब ट्रैक्टर फायरिंग रेंज मे पहुंचा तो श्री राम पाल सिंह ने उसे रुक जाने के लिए ललकारा । ललकारे जाने पर ट्रैक्टर मे बैठे हुए आतंकवादियों ने पुलिस दल पर भारी गोला-बारी की । श्री राम पाल सिंह ने तत्काल अपने मोर्चे के समीप आ रहे आतंकवादियो पर अपनी 9 एम० एम० कारबाइन से जवाब मे प्रभावी रूप से गोली चलाई, दल के अन्य कार्मिको ने भी

गोलियां चलायीं । श्री राम पाल सिंह और श्री हीरा लाल यादव ने तत्काल प्रभावी रूप से गोली चलाकर आतंकवादियों को रुकने के लिए विवश कर दिया । दोनों ओर से लगभग 10 मिनट तक भारी गोली बारी जारी रही ।

दोनों ओर से गोली-बारी के दौरान श्री हीरा लाल यादव को सीने में गोली लगी । एक आतंकवादी को मोर्चा बदलते हुए देखकर, अपने जख्मों के बावजूद वे कुछ दूर तक रेंगते हुए गए और अपनी कारबाइन से गोली चलाकर आतंकवादी को मार डाला । अचेत होकर गिर पड़ने तक वे आतंकवादियों पर गोली चलाते रहे और अन्ततः जख्मों के कारण उनकी मृत्यु हो गई ।

इस मुठभेड़ में श्री हीरा लाल यादव, हेड कान्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 13 सितम्बर, 1988 से दिया जाएगा ।

सं० 85-प्रेज/90—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद
श्री राम पाल सिंह,
पुलिस उप-अधीक्षक,
76वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री गोपाल सिंह,
कान्स्टेबल सं० 830763634,
76वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

12 सितम्बर, 1988 को रात के लगभग आठ बजे, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 76वीं बटालियन के पुलिस उप अधीक्षक श्री राम पाल सिंह ने के नेतृत्व में, हैड कांस्टेबल हीरा लाल यादव और कांस्टेबल गोपाल सिंह सहित दो दल, जिसमें पंजाब पुलिस कार्मिक भी शामिल थे, आतंकवादियों के छिपने के संभावित स्थान जोरा गांव में गश्त लगाने के लिए गांव कौरों स्थिति कम्पनी पोस्ट से रवाना हुए । 13 सितम्बर, 1988 को रात के लगभग पौने एक बजे दल ने घात लगाई । रास्ते में श्री राम पाल सिंह ने एक वाहन की रोशनी देखी । दल उस वाहन को रोकने के लिए नाथू चाक गांव की ओर आगे बढ़ा, जो घराटा पुल से नाथू चाक की ओर आ रहा था । दल ने नाकाबन्दी की और वहां उपलब्ध आड़ के पीछे मोर्चा संभाला । श्री हीरा लाल यादव को एक अति संवेदनशील स्थान पर तैनात किया गया । श्री राम पाल सिंह रेंगते हुए एक उपयुक्त स्थान की ओर बढ़े और अपने नजदीक आ रहे वाहन की आवाज सुनकर, जो एक ट्रैक्टर था उसे ललकारने के लिए स्वयं मोर्चा संभाला । जब ट्रैक्टर फायरिंग रेंज में पहुंचा तो श्री राम पाल सिंह ने उसे रुक जाने के लिए ललकारा । ललकारे जाने पर ट्रैक्टर में बैठे हुए आतंकवादियों ने पुलिस दल पर भारी गोलीबारी की । श्री राम पाल सिंह ने तत्काल अपने मोर्चे के समीप आ रहे आतंकवादियों पर अपनी 9 एम०एम० कारबाइन से जवाब में प्रभावी रूप से गोली चलाई, दल के अन्य कार्मिकों ने भी गोलियां चलायीं । श्री राम पाल सिंह और श्री हीरा लाल यादव ने तत्काल और प्रभावी रूप में गोली चलाकर आतंकवादियों को रुकने के लिए विवश कर दिया । दोनों ओर से लगभग 10 मिनट तक भारी गोली बारी जारी रही । अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना, श्री राम पाल सिंह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहे और उन्होंने एक आतंकवादी को भी मार डाला ।

दोनों ओर से गोली चलने के दौरान कान्स्टेबल गोपाल सिंह ने अंधेरे में भागने की कोशिश करने वाले एक आतंकवादी को रोक दिया । अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की बिल्कुल परवाह किए बिना श्री गोपाल सिंह ने आतंकवादी का लगभग 100 गज तक पीछा किया और अन्ततः आतंकवादी को मार डाला ।

इस मुठभेड़ में श्री राम पाल सिंह, पुलिस उप अधीक्षक और श्री गोपाल सिंह, कोन्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 13 सितम्बर, 1988 से दिया जाएगा ।

सं० 86-प्रेज 90—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारियो को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद
श्री तालिब हुसैन,
कान्स्टेबल सं० 761240853,
25वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।
श्री मोहिन्दर पाल,
कान्स्टेबल सं० 841322419
9वी बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

1 सितम्बर, 1988 को सांय लगभग 3.30 बजे अमृतसर के केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कंट्रोल रूम में यह सूचना प्राप्त हुई कि गांव गगुवाहा, थाना झावल के समीप एक फार्म हाउस में तीन खतरनाक आतंकवादी उपस्थित हैं । यह भी मालूम हुआ कि आतंकवादियो का उक्त दल आधुनिक हथियारों से सुसज्जित है और आकस्मिक आक्रमण की योजना बना रहा है ।

फार्म हाउस को घेरने के लिए तुरन्त केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 24वीं बटालियन के सहायक कमान्डेन्ट श्री सुशील कुमार शर्मा के नेतृत्व में एक विशेष ग्रुप संगठित किया गया । एक ओर सहायक कमान्डेन्ट के नेतृत्व में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 25वीं बटालियन की एक टुकड़ी को भी संदिग्ध फार्म हाउस के नजदीक जाने और निर्देशो का इन्तजार करने के आदेश दिए गए । श्री शर्मा के नेतृत्व वाला ग्रुप लगभग सांय 4.30 बजे उक्त स्थान पर पहुंचा । वे पांच-पांच व्यक्तियो के दो दलों में बंटे गए, एक दल फार्म हाउस के बांए ओर से आगे बढ़ा और दूसरा दल श्री शर्मा के नेतृत्व में दाहिने ओर से आगे बढ़ा ।

दोनों ही दल अभी संदिग्ध स्थान से दूरी पर थे कि श्री शर्मा ने फार्म हाउस के पिछवाड़े से तीन व्यक्तियो को भागते हुए देख लिया । उन्होंने तुरन्त उनको रुकने के लिए ललकारा लेकिन उन्होंने पुलिस दल पर भारी गोली-बारी शुरू कर दी । श्री शर्मा ने तुरन्त जवाब में प्रभावी गोली चलाई और अपने व्यक्तियों को भागने वाले आतंकवादियों का पीछा करने का आदेश दिया । आतंकवादियों ने गोली चलाकर भागने की युक्ति अपनाई और भिन्न-भिन्न दिशाओं को भागने का प्रयास किया ।

श्री शर्मा ने अपने जवानों को उत्साहित करते हुए आतंकवादियों के भागने के प्रयासों को निष्फल कर दिया। लगभग आधा किलो मीटर गोली बारी और पीछा जारी रहा और उसके बाद आतंकवादियों ने ईंट के एक भट्टे के निचले क्षेत्र में मोर्चा संभाला। श्री शर्मा ने अपने जवानों का मोर्चा संभालने और किसी भी जीवन की हानि के बिना युक्तिपूर्वक रेंगते हुए आगे बढ़ने और उन्हें दोनों ओर से घेर लेने का आदेश दिया। इससे दोनों ओर से भारी गोलीबारी शुरू हो गई।

इसी बीच, एक आतंकवादी ने गांव की उस ओर बच निकलने प्रयास किया, जहां कान्स्टेबल तालिब हुसैन ने घेरा बंदी की हुई थी उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना ठीक उसके बाईं ओर दौड़ते हुए मोर्चा संभाला और अपनी कारबाइन से गोली चलानी शुरू कर दी, जिसके फलस्वरूप वह आतंकवादी वापस लौटकर आने के लिए मजबूर हो गया।

इसी प्रकार दो अन्य आतंकवादियों द्वारा भी बच निकलने का प्रयास किया गया और वह भी श्री शर्मा और कान्स्टेबल मोहिन्दर पाल द्वारा निष्फल कर दिया गया। दोनों ओर से भारी गोली–बारी के दौरान उन दोनों ने दाहिनी ओर से दौड़ते हुए मोर्चा संभाला और दोनों आतंकवादियों को वापस लौटकर आने के लिए मजबूर कर दिया। इस प्रकार दोनों इन आतंकवादियों के मोर्चे के काफी नजदीक पहुंच गए, और उनका बच निकलना रोक दिया।

इसी बीच केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 25वीं बटालियन की टुकड़ी गोलीबारी की आवाज सुनने पर सतर्क हो गई और घटना स्थल पर पहुंच गई। इस टुकड़ी के वहां पहुंचने पर श्री शर्मा ने सहायक कमांडेंट को मुठभेड़, आतंकवादियों के मोर्चे और अपने दल की स्थिति के बारे में बताया। दोनों अधिकारियों ने बच निकलने के सभी संभव रास्ते बंद कर दिए और एल०एम०जी०, 2" मोटर और जी०एफ० राइफल्स मोर्चे पर लगा दी। श्री शर्मा ने जी०एफ० राइफल्स और 2" मोटर ग्रुप का निर्देशन किया। इसी बीच केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 78वीं बटालियन के कार्मिक भी घटनास्थल पर पहुंचे। वरिष्ठ पुलिस उप अधीक्षक, तरन तारन भी कुमुक के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद, अंत में आतंकवादियों के मोर्चे पर संयुक्त रूप से हमला करने का निर्णय लिया गया। श्री शर्मा ने अपने जवानों के साथ यह अंतिम हमला किया। क्षेत्र की छान-बीन के बाद आतंकवादियों के तीन शव प्राप्त हुए, जिनकी बाद में सुरजीत सिंह उर्फ सीता, जोगिन्दर सिंह उर्फ जब्बा और दलविन्दर सिंह उर्फ जिंदा के रूप में पहचान की गई। वे पुलिस/सुरक्षा कार्मिकों की कई हत्याओं तथा उन पर आक्रमण करने की कई घटनाओं में शामिल थे।

इस मुठभेड़ में श्री तालिब हुसैन और श्री मोहिन्दर पाल, कान्स्टेबलों ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य–परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 1 दिसम्बर, 1988 से दिया जाएगा।

दलीप सिंह
राष्ट्रपति का उप सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 सितम्बर, 1990

सं० 18/3/89–एल०डी० 2—दिनांक 26–2–1985 के संकल्प संख्या 37–58/83 एल०डी० 2 के अधिक्रमण में भारत सरकार ने, केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म, केन्द्रीय बतख प्रजनन फार्म, यादृच्छिक प्रतिदर्श कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केन्द्रों केन्द्रीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान तथा क्षेत्रीय रोग विश्लेषण प्रयोगशालाओं के प्रबंधक समिति की स्थापना की है। प्रबंधक समिति का संगठन निम्न प्रकार है :—

(1) विशेष सचिव (गिरी)	:	अध्यक्ष
(2) पशुपालन आयुक्त	:	सदस्य
(3) वित्तीय सलाहकार	:	सदस्य
(4) उपसचिव/निदेशक (पशुपालन)	:	सदस्य
(5) संयुक्त सचिव (कुक्कुट)	:	सदस्य सचिव
(6) सी०पी०बी०एफ/सीडीबीफ/आर एस०पी०		पी०टी०सी/ आर एफ एस के निदेशक
अधीक्षक/पोषक विशारदा	:	सदस्य

2. प्रबंधक समिति नीचे दिए कार्य और शक्तियों का प्रयोग करेगी।

(क) समस्त नीति विषयक मामलों पर विचार और अनुमोदन करना, प्राथमिकता का निर्धारण तथा योजनाओं की आवश्यकताओं से निपटने आवश्यक परिवर्तनों को लाना;

(ख) फार्मों के कार्य के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा .

(ग) अनुमोदित कार्यक्रमों के संबंध में पुनर्विनियोजन की शक्तियों पर प्रतिबंधों के आधार पर पर्याप्त निधि के पुनर्आवंटन वाले वार्षिक कार्यक्रम पर विचार करना और परिवर्तनों का अनुमोदन करना :

(घ) कार्मिक प्रभाग से संबंधित सभी मामलों से संबंधित नीतियों पर विचार और सिफारिश;

(ङ) प्रबंधक समिति भारत सरकार द्वारा समय-समय पर योजना संबंधी किसी मामले में जारी किए जाने वाले निर्देशों का पता लगाएगा;

(च) प्रबंधक समिति, डेलीगेशन आफ फाइनेन्शियल पावर्स रूल्स, 1978 के नियम 13(2) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों को प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग कथित नियमों के प्रावधानों के अनुसार करेगी तथा यह प्रयोजन निम्नलिखित शक्तियों को कवर नहीं करेगा :

(1) पदों का सृजन,

(2) घाटों को बट्टे खाते में डालना और

(3) मूल बजट प्रावधानों के 10% से अधिक निधियों का पुनर्विनियोजन।

3. प्रबंधक समिति की वर्ष में दो बार बैठक होगी और अगर आवश्यक हुआ तो और भी शीघ्र।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि समस्त राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्रों, समस्त मंत्रालयों, भारत सरकार के विभागों, मंत्रिमण्डलीय सचिवालय/प्रधान मंत्री के सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व, निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा भा० कृषि अनु० परिषद् और महानिदेशक जहाजरानी को भेजी जाए

2. यह आदेश भी दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

जनक जुनेजा
उप-सचिव (पशुपालन)

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 20th September 1990

No. 81-Pres./90.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned Officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of Officer

Shri Sushil Kumar Sharma,

Assistant Commandant,

24 Battalion,

Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 1st December, 1988 at about 1530 hours information was received at Central Reserve Police Force Control Room, Amritsar about the presence of three dreaded terrorists in a farm house near village Gogubuha, Police Station Jhabal. It was also learnt that the gang was equipped with sophisticated weapons and was planning a raid.

Immediately a special group under the command of Shri Sushil Kumar Sharma, Assistant Commandant, 24 Battalion, Central Reserve Police Force was organised to surround the farm house. One platoon of 25 Battalion, Central Reserve Police Force under the command of another Assistant Commandant was also ordered to move near the suspected place and await directions. The group headed by Shri Sharma reached the spot at about 1630 hours. Forming two parties of 5 men each, one party advanced from the left side of the farm house and other party headed by Shri Sharma from the right side.

While still at a distance from the suspected place, Shri Sharma noticed three men escaping from the rear side of the farm house. He immediately challenged them to stop but they opened heavy fire on the Police party. Shri Sharma effectively returned the fire and ordered his men to chase the fleeing terrorists. The terrorists adopted fire and run tactics and made attempts to run in different directions. Shri Sharma, kept on encouraging his men and foiled their attempts. The exchange of fire and pursuit continued for about half a kilometre, thereafter the terrorists took position in the low lying area of a brick-kiln. Shri Sharma ordered his men to take position and tactically advance by crawling to avoid any loss of life and encircle them from two sides A heavy exchange of fire ensued.

An attempt to escape was made by two terrorists, which was foiled by Shri Sharma and Constable Mohinder Pal. Both ran towards their right side amidst heavy firing and covering the right side forced both the terrorists to retreat. Thus both the Police parties closed on the terrorists' position and prevented their escape.

Meanwhile a Platoon of the 25th Battalion, Central Reserve Police Force, had got alert on hearing the sound of firing and rushed to the scene of action. On arrival of this platoon Shri Sharma briefed the Assistant Commandant about the encounter, positions of terrorists and his party Both the officers plugged all possible escape routes and positioned LMG, 2" Mortar and G.F. Rifles, Shri Sharma guided G F. Rifles and 2" Mortar group. In the meantime personnel of 78 Battalion, Central Reserve Police Force also reached the spot. Senior Superintendent of Police, Tarn Taran alongwith re-inforcement too reached the place After assessing the situation, it was decided to make a combined assault on the terrorists positions. Shri Sharma lead his men in their final assault. After a search of the area, three dead bodies of terrorists were found, who were later identified as Surjit Singh alias Seeta; Joginder Singh alias Jabta and Dalvinder Singh alias Jinda. They were involved in several killings and attacks on police, security personnel.

In this encounter Shri Sushil Kumar Sharma, Assistant Commandant displayed conspicuous gallantry, leadership, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5, with effect from the 1st December, 1988.

No. 82-Pres./90.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned Officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the Officer

Shri Gulfam, (*Posthumous*)

Constable No 830765281,

76 Battalion,

Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 1st December, 1988, on receipt of information, a joint raid/search operation by police party comprising of 10 and 76 Battalions of Central Reserve Police Force and Punjab Police personnel was conducted at the terrorist hideouts in village Tapiala, Police Station Beas, district Majitha. One Section under the command of Head Constable Fazal Ahmed which included Constable Gulfam, cordoned the house of Major Singh a dreaded terrorist. Constable Gulfam and two men of his Section were deputed at the main gate, a probable escape route from the house. As the Police party gave a call for surrender, three men came out of the adjacent room and started indiscriminate firing on the Police party. The Police party also returned the fire. During the exchange one of the terrorists ran towards the main gate of the house while firing. Shri Gulfam in utter disregard of his personal safety changed his position to engage the fleeing terrorist and fired at him. While doing so a bullet fired by the fleeing terrorist hit him on his chest. Even after being grievously injured, he crawled to a better position and continued to fire from his SLR effectively. This timely action of Shri Gulfam contributed immensely to the success of the operation against the hard-core terrorists In this encounter two extremists were killed, and were later identified as Major Singh and Pargat Singh, who were involved in several terrorists activities and killing of innocent persons. Constable Gulfam was rushed to the Hospital, but he succumbed to his injuries on the way.

In this encounter Shri Gulfam, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5, with effect from the 1st December, 1988

No. 83-Pres./90.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned Officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the Officer

Shri Harihar Yadav,
Naik, No. 700360148.
41 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 26th October 1988 information was received that about 8-10 terrorists armed with sophisticated weapons were moving in Punia-Varnala area with a view to commit murders in the adjacent village.

To apprehend these terrorists an ambush was organised on the night of 27th October, 1988 on the Kachha track leading to village Punia from Patti-Valtohia high way.

At approximately 2345 hours about 8 persons, covering themselves with bed-sheets emerged from trees and thick high crops. The Police Party challenged them to stop but they immediately opened fire on the ambush party. Thereupon the Police Party also opened fire. Two of the terrorists fell down and rolled towards the fields.

Naik Harihar Yadav and Constable P. Ajay Kumar were ordered to stop the terrorists, who were trying to escape. They immediately took positions along the embankment of the lower fields covering the escape route of the terrorists. The terrorists, spotted S/Shri Yadav and Ajay Kumar and fired on them as a result of which the magazines and butt of the Rifles of S/Shri Yadav and Ajay Kumar were badly damaged. Naik Harihar Yadav tried to change the magazine but he could not remove it from the Rifle. One of the terrorists taking advantage of the gap in the firing, tried to escape. Naik Yadav unmindful of the grave risk got up from his position, grappled with the escaping terrorist and tried to snatch his rifle. Another terrorists, who saw this, fired a burst injuring Naik Yadav in the right arm, legs, abdomen and back. Shri Yadav received 6 bullet injuries and fell down. Though the terrorist was able to escape Naik Yadav struck to the filled magazine of his AK-47 Rifle and did not allow him to take it way.

In this encounter Shri Harihar Yadav, Naik displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5, with effect from the 27th October, 1990.

No 84-Pres/90.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Police Force :

Name and rank of the Officer

(Posthumous)

Shri Hira Lal Yadav
Head Constable No. 6801600
76 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On the 12th September, 1988 at about 2000 hours two Sections under the command of Shri Ram Pal Singh, Deputy Superintendent of Police, 76 Battalion, Central Reserve Police Force, including Head Constable Hira Lal Yadav and Constable Gopal Singh alongwith Punjab Police personnel left the company post at village Kairon to carry-out patrolling of the likely hideouts of terrorists in village Jora. At about 0045 hours on the 13th September, 1988, the party laid an ambush. On the way Shri Ram Pal Singh spotted the light of a vehicle. The party advanced towards village Nathu Chak to intercept the vehicle, which was coming from Gharata Bridge towards Nathu Chak. A naka was laid and the party positioned themselves behind available cover. Shri Hira Lal Yadav was deputed at one of the vulnerable points. On hearing the sound of the vehicle which was a tractor Shri Ram Pal Singh crawled to an appropriate place and positioned himself to challenge the approaching tractor. When the tractor reached within the firing range. Shri Ram Pal Singh challenged it to stop. On being challenged the terrorists sitting on the tractor opened heavy fire on the police party. Shri Ram Pal Singh immediately returned effective fire with his 9 mm Carbine on the terrorists, who were coming closer to his position. The other party personnel also opened fire. The quick and effective fire by Shri Ram Pal Singh and Shri Hira Lal Yadav compelled the terrorists to stop. Heavy exchange of fire continued for about ten minutes.

Shri Hira Lal Yadav received a burst on his chest in the exchange of fire. Despite injuries, he on noticing one of the terrorists, changing his position, crawled for some distance and fired from his carbine at the terrorist and killed him. He continued firing at the terrorists till he fell unconscious and ultimately succumbed to his injuries.

In this encounter Shri Hira Lal Yadav, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 13th September, 1988.

No. 85-Pres/90.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force:

Names and rank of the Officers

Shri Ram Pal Singh,
Deputy Superintendent of Police,
76 Battalion,
Central Reserve Police Force.
Shri Gopal Singh,
Constable No. 830763634,
76 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On the 12th September, 1988 at about 2000 hours, two sections under the command of Shri Ram Pal Singh, Deputy Superintendent of Police, 76 Battalion, Central Reserve Police Force, including Head Constable Hira Lal Yadav and Constable Gopal Singh alongwith Punjab Police per-

sonnel left the Company post at village Kairon to carry-out patrolling of the likely hide-outs of terrorists in village Jora. At about 0045 hours on the 13th September, 1988, the party laid an ambush. On the way Shri Ram Pal Singh, spotted the light of a vehicle. The party advanced towards village Nathu Chak to intercept the vehicle, which was coming from Gharata Bridge towards Nathu Chak. A naka was laid and the party positioned themselves behind the available cover. Shri Hira Lal Yadav was deputed at one of the vulnerable points. On hearing the sound of the vehicle which was a tractor Shri Ram Pal Singh crawled to an appropriate place and positioned himself to challenge the approaching tractor. When the tractor reached within the firing range, Shri Ram Pal Singh challenged it to stop. On being challenged, the terrorists sitting on the tractor opened heavy fire on the police party. Shri Ram Pal Singh immediately returned effective fire with his 9 mm Carbine on the terrorists, who were coming closer to his position. The other party personnel also opened fire. The quick and effective fire by Shri Ram Pal Singh and Shri Hira Lal Yadav compelled the terrorists to stop. Heavy exchange of fire continued for about ten minutes. Shri Ram Pal Singh, moved from one place to another, without caring for his personal safety and killed one of the terrorists.

In the exchange of fire Constable Gopal Singh intercepted one of the terrorists, trying to escape under cover of darkness. Shri Gopal Singh chased the terrorists for about 100 yards in utter disregard to his personal safety and ultimately killed the terrorist.

In this encounter, Shri Ram Pal Singh, Deputy Superintendent of Police and Shri Gopal Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high orders.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 13th September, 1988.

No. 86-Pres/90.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the under-mentioned officers of the Central Reserve Police Force :

Names and rank of the Officers

Shri Talib Hussain,
Constable No. 761240853,
25 Battalion,
Central Reserve Police Force.
Shri Mohinder Pal,
Constable No. 841322419,
9 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On the 1st December, 1988 at about 1530 hours information was received at Central Reserve Police Force Control Room, Amritsar about the presence of three dreaded terrorists in a farm house near village Gagubuha, Police Station Jhabal. It was also learnt that the gang was equipped, with sophisticated weapons and was planning a raid.

Immediately a special group under the command of Shri Sushil Kumar Sharma, Assistant Commandant, 24 Battalion, Central Reserve Police Force was organised to surround the farm house. One platoon of 25 Battalion under the command of another Assistant Commandant was also ordered to move near the suspected place and await directions. The group headed by Shri Sharma reached the spot at aout 1630 hours. Forming two parties of 5 men each ; one party advanced from the left side of the farm house and other party headed by Shri Sharma from the right side.

While still at a distance from the suspected place Shri Sharma noticed three men escaping from the rear side of the farm house. He immediately challenged them to stop but they opened heavy fire on Police party. Shri Sharma effectively returned the fire and ordered his men to chase the fleeing terrorists. The terrorists adopted fire and run tactics and made attempts to run in different directions. Shri Sharma kept on encouraging his men and foiled their attempts. The exchange of fire and pursuit continued for about half a kilometre, thereafter the terrorists took position in the low lying area of a brick-kiln. Shri Sharma ordered his men to take position and tactically advance by crawling to avoid any loss of life and encircle them from two sides. A heavy exchange of fire ensued.

In the meantime, one terrorist attempted to escape towards the village, which was covered by Constable Talib Hussain who literally ran towards his left side without caring for his personal safety, took position and started firing with his carbine forcing the terrorist to retreat.

Similar attempt of escape was made by other two terrorists, which was also foiled by Shri Sharma and Constable Mohinder Pal. Both ran towards their right side amidst heavy firing and covering the right side forced both the terrorists to retreat. Thus both the Police parties closed on the terrorists position and prevented their escape.

Meanwhile a platoon of the 25th Battalion, Central Reserve Police Force, had got alert on hearing the sound of firing and rushed to the scene of action. On arrival of this platoon Shri Sharma briefed the Assistant Commandant about the encounter, positions of terrorists and his party. Both the officers plugged all possible escape routes and positioned LMG, 2" Motar and G.F. Rifles. Shri Sharma guided G.F. Rifles and 2" Motar group. In the meantime personnel of 78 Battalion, Central Reserve Police Force, also reached the spot. Senior Superintendent of Police, Tarn Taran alongwith re-inforcement also reached the place. After assessing the situation, it was decided to make a combined assault on the terrorist positions. Shri Sharma lead his men in this final assault. After search of the area, three dead bodies of terrorists were found, who were later identified as Surjit Singh alias Seeta ; Joginder Singh alias Jabta and Dalvinder Singh alias Jinda. They were involved in several killings and attacks on police/security personnel.

In this encounter Shri Talib Hussain and Shri Mohinder Pal, Constables, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them special allowance admissible under rule 5, with effect from the 1st December, 1988.

D. S. JAGOTRA
Deputy Secretary to the President

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND CO-OPERATION)

New Delhi, the 6th September 1990

RESOLUTION

No. 18-13/89-LD II.—In supercession of resolution No. 37-58/83-LD II dated 26-2-1985 It has been decided by the Government of India constitute a Management Committee for the Central Poultry Breeding Farms, Central Duck Breeding Farm, Random Sample Poultry Performance Testing Centres, Central Poultry Training Institute and Regional Feed Analytical Laboratories. The constitution of the Management Committee will be as under :—

Chairman

(i) Special Secretary (G)

Members

(ii) Animal Husbandry Commissioner

(iii) Financial Adviser

(iv) Deputy Secretary/Director (AH)

(v) Director/Superintendents/Nutritionists of CPBFs/CDBF/CPTI/RSPPTCs/RFALs

Member-Secretary

(vi) Joint Commissioner (Poultry)

2. The Management Committee shall perform the functions and exercise the powers given below :—

(a) consider and approve all policy matters, lay down priorities and introduce changes necessary to meet the requirements of the schemes;

(b) review progress of implementation of the programmes of work of the farms;

(c) consider and approve changes in the annual programmes involving substantial re-allocation of funds in relation to the approved programmes subject to restriction on powers of re-appropriation;

(d) consider and recommend policies regarding all matters pertaining to personnel management;

(e) the Management Committee shall carry out such directives as the Government of India may issue from time to time on any matter pertaining to the scheme;

(f) the Management Committee shall exercise all the powers delegated to the Ministries of the Central Government under Rule 13(2) of the Delegation of Financial Power Rules, 1978 as per the provisions of the said Rules.

This delegation will not however cover the following powers :—

(i) creation of posts;

(ii) write off of losses and

(iii) re-appropriation of funds exceeding 10% of the original budget provision.

3. The Management Committee may meet twice a year and even more frequently, if necessary.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the State Government/Union Territories. All Ministries/Department of Government of India, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, the President Secretariat, the Planning Commission, the Controller and Auditor General of India, the Accountant General, Central Revenue, the Director of Commercial Audit, the Indian Council of Agricultural Research and Director General Shipping.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

JANAK JUNEJA, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1990